Consideration प्रतिफल

(1)

→ प्रतिफल की परिभाषा दीजिए। "बिना प्रतिफल के ठहराव व्यर्थ होता है।" इस नियम के अपवाद बताइए।
Define Consideration. All agreement are void in the absence of consideration.

→ — प्रतिफल की परिभाषा — एक ठहराव के लिए वचन तथा प्रतिफल दोनों का होना आवश्यक है। सरल सीधी भाषा में प्रतिफल से आशय उस मूल्य या प्राप्ति से होता है, जो वचनदाता के वचन के बदले वचनग्रहीता द्वारा दिया जाता है। दूसरे शब्दों में 'यह कुछ के बदले कुछ' (Something for Something) है। प्रत्येक ठहराव या अनुबन्ध के निर्माण के लिए प्रतिफल एक अनिवार्य आवश्यकता है।

सर फ्रेडरिक पोलक द्वारा दी गयी परिभाषा — "प्रतिफल वह मूल्य है, जिसके बदले में दूसरे पक्षकार का वचन खरीदा जाता है, और इस मूल्य के बदले प्राप्त वचन को प्रवर्तित कराया जा सकता है।"

भारतीय अनुबन्ध अधिनियम की धारा 2 (d) के अनुसार → जब वचनदाता की इच्छा पर वचनग्रहीता (Promisee) अथवा किसी अन्य व्यक्ति ने (A) कोई कार्य किया है, अथवा उसके करने से विरत (अलग) रहा है। अथवा (B) कोई कार्य करता है, अथवा उसके करने से विरत रहता है। (C) कोई कार्य करने अथवा विरत रहने का वचन देता है, तो ऐसा कार्य, या निवृत्ति, या वचन, उस वचन के लिए प्रतिफल कहलाता है।

इस परिभाषा के अनुसार प्रतिफल भूत (Past), वर्तमान (Present) और भावी (Future) हो सकता है।

उदाहरण — राम अपना घोड़ा श्याम को 1000 रुपया में बेचने के लिए सहमत हो जाता है तो राम का प्रतिफल Rs 1000 तथा श्याम का प्रतिफल घोड़ा है।

प्रतिफल रहित ठहराव व्यर्थ होते हैं, इस नियम के अपवाद —

Agreements without consideration void — Exceptions :-

सामान्यतः प्रतिफल रहित ठहराव व्यर्थ होते हैं। इसका कारण यह है कि प्रतिफल के अभाव में किये गये सभी ठहराव एवं अनुबन्ध जुए के समान समझे जाते हैं अतएव व्यर्थ होते हैं। एन्सन के अनुसार 'प्रत्येक सामान्य अनुबन्ध के लिए प्रतिफल आवश्यक है, प्रतिफल के अभाव में ठहराव प्रवर्तनीय नहीं होता है।' धारा 25 में भी बताया गया है, प्रतिफल के अभाव में ठहराव व्यर्थ होते हैं। परन्तु अनुबन्ध अधिनियम की धारा 25 में कुछ अपवादों का वर्णन किया गया है, जिसके अनुसार बिना प्रतिफल के भी अनुबन्ध वैध होते हैं। ये अपवाद निम्नलिखित हैं :—

बिना प्रतिफल के ठहराव व्यर्थ होते हैं, वह नियम के अपवाद —

(1) स्वाभाविक प्रेम एवं स्नेह के कारण दिया गया वचन (Promise made on account of natural love and affection)

→ अनुबन्ध अधि० की धारा 25(1) के अनुसार — यदि ठहराव लिखित है, तथा रजिस्ट्रीकृत है, और यदि ऐसा ठहराव स्वाभाविक स्नेह से प्रेरित होकर ऐसे पक्षकारों के बीच किया गया है जो एक दूसरे के साथ निकट सम्बन्ध रखने वाले हैं तो यह ठहराव बिना प्रतिफल के भी वैध अनुबन्ध होगा। इस सम्बन्ध में रामदास बनाम श्रीमति दुर्गा देवी (1965 M.P.) का विवाद महत्वपूर्ण है।

(2) भूतकाल में स्वेच्छा से प्रदान की गयी सेवाओं की क्षतिपूर्ति के लिए दिया गया वचन → (Promise to compensate for voluntary services) — यदि ठहराव किसी ऐसे व्यक्ति की पूर्ण अथवा आंशिक क्षतिपूर्ति का वचन है, जिसने भूतकाल में वचनदाता के लिए स्वेच्छा से कोई कार्य किया है ऐसा ठहराव बिना प्रतिफल के भी वैध होगा। जैसे - राम का पर्स खो जाता है, जो श्याम को मिल जाता है और श्याम उसे राम को दे देता है। राम श्याम को 500 रुपया देने का वचन देता है, यह एक वैध ठहराव होगा। श्याम इसे परिवर्तित करा सकता है। इस सम्बन्ध में अहमदाबाद जुबली कम्पनी बनाम होरे लाल का विवाद महत्वपूर्ण है।

(3) अवधि वर्जित ऋण को चुकाने के लिए किया गया वचन (Promise to pay a time barred debt.)

यदि ठहराव लिखित हो, वचनदाता अथवा उसके एजेण्ट द्वारा हस्ताक्षरयुक्त हो, तथा किसी ऐसे ऋण को चुकाने के सम्बन्ध में हो, जिससे भुगतान के लिए देनदार (debtor) बाध्य था, किन्तु वह ऋण अवधि वर्जित हो गया हो तो बिना प्रतिफल के भी ठहराव वैध होता है। उदाहरण - A, B को Rs 500 का ऐसा ऋण जो कि उस अवधि वर्जित (समय समाप्त) हो चुका है, चुकाने का वचन देता है। यह ठहराव लिखित है, तथा इस पर A के हस्ताक्षर हैं, ऐसी स्थिति में A ऋण चुकाने के लिए बाध्य है। इस सम्बन्ध में विश्वम्भर दयाल बनाम विश्वनाथ अग्रवाल (1954) (इलाहाबाद उच्च न्यायालय) का विवाद महत्वपूर्ण है।

(4) दान एवं भेंट (Donation or Gift) — यदि किसी व्यक्ति ने सम्पत्ति अन्तरण अधिनियम 1882 के अन्तर्गत लिखित एवं पंजीकृत विलेख (Registered Instrument) के द्वारा किसी सम्पत्ति को किसी व्यक्ति या संस्था को दान कर दिया है, तो वह उक्त सम्पत्ति को प्रतिफल के बिना हस्तांतरित (Transferred) किये जाने के कारण वापस नहीं मांग सकता है। दूसरे शब्दों में यदि दान वास्तव में कर दिया गया है तो दान देने वाले, तथा दान लेने वाले के सम्बन्ध में प्रतिफल का प्रश्न नहीं उठता है।

(3)

(5) निःशुल्क निक्षेप (Gratuitous Bailment) →

निःशुल्क निक्षेप की दशा में प्रतिफल का होना आवश्यक नहीं है।

(6) एजेन्सी का अनुबन्ध (Contracts of Agency)

भारतीय अनुबन्ध अधिनियम की धारा (185) के अनुसार एजेन्सी की स्थापना के अनुबन्ध के लिए प्रतिफल का होना अनिवार्य नहीं है। बिना प्रतिफल के भी एजेन्सी की स्थापना का अनुबन्ध वैध होता है।

(7) वचनग्रहीता (Promisee) द्वारा शिथिलता या छूट दिया जाना →

यदि वचनग्रहीता सुलह कर लेता है, अथवा वचन द्वारा कोई स्वेच्छा से छूट दे देता है, तो ऐसा हस्तान्तरण बिना प्रतिफल के भी वैध होता है। उदाहरण – यदि ऋणदाता, ऋण लेने वाले से ऋण का कम भुगतान पाकर उसे सम्पूर्ण भुगतान से छूट दे देता है, तो यह सम्पूर्ण भुगतान माना जाएगा। इसी प्रकार के वचन के निष्पादन की अवधि में वृद्धि कर देने में भी प्रतिफल की आवश्यकता नहीं होती। (धारा 63)। इस सम्बन्ध में कपूरचन्द धोधा (1963 SC) बनाम मीर नवाब हिमायत अली खां के विवाद में वादी के प्रतिवादी पर 28 लाख बकाया था, किन्तु दोनों पक्षों में 20 लाख के भुगतान का समझौता हो गया। बाद में वादी ने शेष राशि के भुगतान के लिये वाद प्रस्तुत किया। सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि वादी शेष राशि वसूल नहीं कर सकता, क्योंकि वादी ने कम राशि के भुगतान का समझौता कर लिया था।

(8) अपर्याप्त प्रतिफल (Inadequate Consideration)

अनु० अधिनियम की धारा 25 के अनुसार अगर वचनदाता ने स्वतंत्र सहमति प्रदान की है तो कोई हस्तान्तरण अपर्याप्त प्रतिफल के होने के कारण भी व्यर्थ नहीं होगा (इस सम्बन्ध में महत्वपूर्ण बात यह है कि न्यायालय इस बात का निश्चित करते समय कि वचनदाता ने अपनी स्वतंत्र सहमति प्रदान की थी या नहीं, प्रतिफल की अपर्याप्तता को भी ध्यान में रखता है) उदाहरण मोहन अपनी ₹ 50,000 की मोटरसाइकिल सोहन को 6000 में बेचने का हस्तान्तरण करता है। यहां पर मोहन ने इस हस्तान्तरण के लिए स्वतंत्र सहमति प्रदान की थी। अतः अपर्याप्त प्रतिफल के होते हुए भी यह हस्तान्तरण वैध है।

— o — — o —